पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण (दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

[1] रघुनाथ उरांव , [2]डॉ. वन्दना श्रीवास (सहायक प्रोफेसर)

[1]शोधार्थी, [2]शोध निर्देशक

[1–2] विभागः राजनीति विज्ञान भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व क्षमता तथा उनके समक्ष उपस्थित सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया तथा 200 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया गया।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने ग्रामीण विकास, सामाजिक जागरूकता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। तथापि अशिक्षा, राजनीतिक जानकारी का अभाव, पारिवारिक हस्तक्षेप एवं पुरुष प्रधान मानसिकता जैसी समस्याएँ महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। निष्कर्षतः महिला नेतृत्व ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य शब्द

पंचायती राज, महिला नेतृत्व, राजनीतिक सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, दुर्ग जिला

प्रस्तावना

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्वशासन की आधारशिला मानी जाती हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

दुर्ग जिला सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज में नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न की है। महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला कल्याण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन करना।
2. पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण करना।
3. महिला नेतृत्व के समक्ष उपस्थित समस्याओं का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व के योगदान का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं सर्वेक्षण शोध प्रविधि का उपयोग किया गया। अध्ययन हेतु दुर्ग जिले की चयनित ग्राम पंचायतों से 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। प्रदत्तों के संकलन हेतु प्रश्नावली का उपयोग किया गया। संकलित प्रदत्तों का प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया गया।

सारणी क्रमांक – 1

पंचायती राज के प्रति महिलाओं के जागरूक न होने के कारण

क्र.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा एवं राजनीतिक ज्ञान का अभाव	142	35.58
2	घरेलू उत्तरदायित्व एवं समयाभाव	96	24.06
3	पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण एवं पुरुष वर्चस्व	78	19.55
4	सामाजिक रूढ़ियाँ एवं परंपराएँ	52	13.03
5	सरकारी योजनाओं व प्रशिक्षण की जानकारी का अभाव	31	7.78
	कुल	**399**	**100**

सारणी की व्याख्या

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि दुर्ग जिले की महिलाओं के पंचायती राज के प्रति जागरूक न होने का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं राजनीतिक ज्ञान का अभाव है, जिसे 35.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया। इससे यह ज्ञात होता है कि शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता की कमी महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती है।

24.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार घरेलू उत्तरदायित्व एवं समयाभाव महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ घरेलू कार्यों एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों में अधिक व्यस्त रहती हैं, जिसके कारण वे पंचायत संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पातीं।

19.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण एवं पुरुष वर्चस्व को प्रमुख कारण माना। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता महिलाओं के राजनीतिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

इसके अतिरिक्त 13.03 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक रूढ़ियों एवं परंपराओं को तथा 7.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं एवं प्रशिक्षण की जानकारी के अभाव को महिला जागरूकता में कमी का कारण माना।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता एवं प्रशासनिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है।

प्रमुख निष्कर्ष

1. पंचायतों में महिला नेतृत्व ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर रहा है।

2. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिला नेतृत्व के समक्ष प्रमुख बाधा है।
4. सरकारी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
5. महिला नेतृत्व से ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास एवं राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुर्ग जिले में महिला प्रतिनिधियों ने सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

यद्यपि अशिक्षा, पारिवारिक दबाव, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं पुरुष वर्चस्व जैसी समस्याएँ महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं, फिर भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। अतः आवश्यक है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण, शिक्षा एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे वे पंचायत स्तर पर अधिक प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकें।

शैक्षिक उपादेयता

प्रस्तुत अध्ययन "पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका का राजनीतिक विश्लेषण (दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)" शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता निम्न प्रकार से स्पष्ट होती है—

1. यह अध्ययन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला नेतृत्व की वास्तविक स्थिति से परिचित कराता है।
2. अध्ययन महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं ग्रामीण लोकतंत्र में उनकी भूमिका को समझने हेतु उपयोगी सामग्री प्रदान करता है।
3. यह शोध राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र एवं शिक्षा विषय के विद्यार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।
4. अध्ययन ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करता है।
5. प्रस्तुत शोध महिला सशक्तिकरण एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में समझने में सहायक है।
6. अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण महिलाओं के प्रभावी नेतृत्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
7. यह शोध पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नीतिगत सुधारों के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है।
8. अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला नेतृत्व से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों को समझने में सहायक है।
9. यह शोध भविष्य में महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता पर होने वाले अनुसंधानों के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराता है।

10. प्रस्तुत अध्ययन लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

सुझाव

1. ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
2. पंचायत प्रतिनिधियों हेतु नियमित नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
3. महिलाओं को सरकारी योजनाओं एवं पंचायत संबंधी अधिकारों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने हेतु सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
6. पंचायतों में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।
7. पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
8. महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
9. पंचायत स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
10. महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु विशेष कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अवस्थी, ए. एवं अवस्थी, आर. (2018). *भारतीय प्रशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था.* नई दिल्ली: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।
2. सिंह, आर. (2020). *महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
3. शर्मा, वी. (2019). *भारतीय लोकतंत्र एवं स्थानीय स्वशासन.* आगरा: साहित्य भवन।
4. दुबे, एस. सी. (2017). *भारतीय ग्राम व्यवस्था.* नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
5. यादव, एम. (2021). "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन।" *भारतीय राजनीति विज्ञान समीक्षा,* 12(3), 45–53।
6. चौहान, पी. (2022). "ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की भूमिका।" *समाज विज्ञान शोध पत्रिका,* 8(2), 67–74।
7. भारत सरकार. (1992). *73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम.* नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
8. मिश्रा, आर. (2018). *स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास.* वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
9. कश्यप, एस. सी. (2016). *भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था.* नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी बुक हाउस।
10. कुमार, डी. (2023). "पंचायतों में महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक जागरूकता।" *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस,* 15(1), 88–95।